(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस संबंध में सरकार की नीति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) पर्याप्त तथा उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु कृषि विकास के लिये वातावरण निर्मित करने हेतु अनिवार्यता मानी गयी है। नौंवी योजना के दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि आधारभूत ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) कृषि के समग्र आधारभूत ढांचे हेतु निवेश संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि में निवेश के अनुमान तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उनके समतुल्य अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कृषि में सकल पूंजी निर्माण (1980-81 के मूल्यों पर)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1994-95	6256	1316	4940
1995-96	6961	1268	5993
996-97	6999	1132	5869

(ग) और (घ) पिछले कुछ समय में, कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर जोर पहले से किये गये निवेशों को इष्टतम बनाने पर दिया गया है। कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ाने की नीति में योजनागत परिव्यय में वृद्धि तथा आधारभूत ढांचे के विकास के लिये निवेश के अनुपात में वृद्धि करना; उत्पादकता बढ़ाने के लिये संसाधनों के अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का सृजन; त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम संबंध नई स्कीम लागू करना आदि शामिल हैं।

नौंवी योजना के दौरान, सार्वजनिक निवेश बढ़ाने तथा अनुकूल मूल्य एवं व्यापार प्रशासन के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति

1691. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे:

(क) अति वृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा और कीट प्रकोप इत्यादि से होने वाली क्षति के प्रति किसानों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या राज्यवार योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) इस वर्ष उक्त कारणों से किसानों को कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या इस क्षति की भरपाई के लिए वहां पर कोई फसल बीमा और पशु बीमा योजना इत्यादि की शुरूआत किए जाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना का स्वरूप क्या होगा और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओलावृष्टि, भू-स्खलन तथा आग से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिये आपदा राहत निधि के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वार्षिक आवंटन किया जाता है जिसमें केन्द्र तथा संबंधित राज्यों द्वारा 3:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। हाल ही में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण फसलों पर कीटों के हमले की प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया गया है। अति गम्भीर प्रकृति की आपदाएं आने पर आपदा राहत निधि के अलावा, राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से भी सहायता दी जाती है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा आपदाओं के कारण सूचित क्षति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**।

(ग) और (घ) व्यापक फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन पहली अप्रैल, 1985 से किया जा रहा है। इसमें गेहूं, धान, कदन्न, तिलहन तथा दलहन की खेती के लिये ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने वाले किसानों को शामिल किया गया है। एक प्रायोगिक फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन रबी 1997-98 से किया गया। तथापि, कुछ प्रशासनिक तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण, खरीफ, 1998 मौसम से प्रायोगिक फसल बीमा योजना के स्थान पर व्यापक फसल बीमा योजना चलाने का निर्णय लिया गया है। ऋणी तथा गैर-ऋणी, दोनों प्रकार के किसानों को समाहित करने के

300/25-E 3A

लिये रबी 1998-99 मौसम से एक संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव है।

जहां तक पशु बीमा का संबंध है, एक व्यापक पशु बीमा स्कीम पहले से ही विद्यमान है, जिसके तहत एक विनिर्दिष्ट आयु वर्ग के पशुओं की निम्नलिखित बातों से संभावित मृत्यु हेतु बीमा किया जाता है: (1) दुर्घटना (आग, बिजली गिरने, बाढ़, तूफान, भूकम्प, अकाल आदि जैसे प्राकृतिक कारणों सहित (2) पालिसी की अवधि में रोग लगने/रोगी होने पर; (3) शल्य चिकित्सा (4) दंगे, हड़ताल तथा नागरिक भगदड़ (5) प्रजनन तथा प्रसूति की जोखिम तथा (6) स्थायी पूर्ण विकलांगता (अतिरिक्त प्रीमियम की अदायगी पर), के लिए।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	मृतकों की संख्या	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्र (लाख है०)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	गुमशुदा पशु (संख्या)
1.	आन्ध्र प्रदेश	943	—	—	—
2.	असम	24	नगण्य	4965	—
3.	गुजरात	1	—	—	—
4.	राजस्थान	37	—	—	—
5.	उत्तर प्रदेश	5	—	142	24
6.	पश्चिम बंगाल	5	0.09	15157	47
	कुल	1015	0.09	20264	71

अति वृष्टि से नुकसान

1692. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) गत वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के सात जिलों में अति वृष्टि से किसानों को कुल कितनी क्षति हुई; और

(ख) उन्हें राहत प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अत्यधिक शीतकालीन वर्षा के कारण राज्य के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 7 जिलों में 24.15 लाख हैक्टेयर फसलगत क्षेत्र प्रभावित हुआ जिससे अनुमानतः 100.00 करोड़ रुपये से भी अधिक की फसल का नुकसान हुआ।

कृषकों की लगभग 94.00 करोड़ रुपये की राशि के अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने और सरकारी ऋणों पर एक वर्ष के लिए ब्याज को माफ करने के अतिरिक्त लगभग 13.00 करोड़ रुपये की राशि के सहकारी ऋणों पर ब्याज से छूट की सुविधा दी गई। इसके अतिरिक्त, किसानों को पुनः बुवाई, रबी की बुवाई तथा ग्रीष्म फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज तथा उर्वरक तकावी दिए गए। राज्य सरकार ने अपवर्णित धान तथा अन्य फसलों की खरीद उचित मूल्य पर करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करने की सूचना दी है।

आनन्द विहार स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में दिल्ली दुग्ध योजना का "बूथ"

1693. **श्री सर्यूभान पाटील वहाडणे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वी दिल्ली के आनन्द विहार कालोनी में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के "बूथ" को दूध की सीमित आपूर्ति होने के कारण स्थानीय समृद्ध व्यक्तियों को ही दूध मिल पाता है जब कि जरूरतमंद मध्यम व निम्न वर्गों के लोग इस सुविधा से वंचित हैं;

(ख) क्या सरकार लोगों की भारी मांग को देखते हुए आनन्द विहार के डी०डी०ए० फ्लैट्स में डी०एम०एस० का "दूध" खोलने का विचार रखती है;

-3001/LS-F 3/5.